

2017/00032

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 23/2017

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री लाला भाई लबाना पिता श्री
हेमचंद लबाना, उम्र 56 वर्ष,
जाति लबाना, निवासी मोर,
तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा
(राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,

29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित : 1- श्री भूपेन्द्र जैन एवं श्री हीरालाल जैन,

-अधिवक्तागण, -प्रार्थी पक्ष

2- श्री योगेश सोमपुरा,

-अधिवक्ता विपक्षीगण


निर्णय

दिनांक :- 12-01-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 100 जिसकी साईज 40 फीट बाय 30 फीट जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट वाके बडगाँव "बी" क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1596/597 का एक भाग है तथा प्रार्थी उक्त आबादीशुदा भूखण्ड पर क्रय दिनांक से काबिज है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि अवाप्ति के संबंध में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में एवार्ड जारी किया गया है। उक्त निर्धारित प्रस्तावित मुआवजा राशि की नकल संलग्न है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 में प्रार्थी के भूखण्ड



D:\M Decision 2016.doc


भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

की मुआवजा राशि रूपया 1,76,088/- अक्षरे एक लाख छिहत्तर हजार अठ्यासी रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता है व Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार में प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति को भी अवाप्ति अधिकारी ने ध्यान में नहीं रखा है तथा बाद में कलम नं. 3 में बताये अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की है, जो गलत है। वर्तमान में प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है तथा उक्त भूमि आबादीशुदा सर्वे नं. 1369/790 का भाग है। इस कारण उक्त कुल भूमि 1200 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 5,04,000/- अक्षरे पांच लाख चार हजार रूपया होता है तथा उक्त राशि का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 5,04,000/- अक्षरे पांच लाख चार हजार रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 10,08,000/- अक्षरे दस लाख आठ हजार रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थी को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमों के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा-

(1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others

(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors

व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणों में वैधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in



DK1 Decision 2016.doc

अमरवती प्रसाद
निस कम्प्यूटर
कंसल्टिंग

Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रत्यर्थागण के विरुद्ध निम्न आशय का अर्दा पारीत करावे कि :-

- (क) यह कि, प्रार्थी के भूखण्ड संख्या 100 की कुल भूमि 1200 वर्गफीट भूमि का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 5,04,000/- अक्षरे पांच लाख चार हजार रूपया तथा उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 5,04,000/- अक्षरे पांच लाख चार हजार रूपया इस प्रकार कुल रकम रूपया 10,08,000/- अक्षरे दस लाख आठ हजार रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थी पाने का अधिकारी है, वह भी दिलाया जावे।
- (ख) यह कि, कुल राशि रूपया 10,08,000/- अक्षरे दस लाख आठ हजार रूपया मात्र पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।
- (ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थी को प्रत्यर्थागण से दिलाया जावे।
- (घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थी को प्रत्यर्थागण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अर्दा पारीत होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अर्दा जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अर्दा में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी

द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H-27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 10-01-2018 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बड़गांव के संख्या नम्बर 1596/597 में से 0.171 हैक्टेयर किस्म आबादी श्री राकेश पिता परता, अमृत बेवा परता भील निवासी बड़गांव के नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई है। जिसमें से हितबद्ध व्यक्ति श्री लालाभाई पिता हेमचन्द लबाना निवासी मोर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा की क्रयशुदा अवाप्तीय भू-खण्ड 1200 वर्गफीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत अवाप्त हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 113 में अवाप्तशुदा भूमि की लोक सूचना जारी होकर गजट नोटिफिकेशन जारी चुका है, परन्तु गजट नोटिफिकेशन में आराजी नम्बर 1596/597 रकबा 1-10 बीघा में से 0.171 हैक्टेयर भूमि किस्म आबादी खातेदार राकेश पिता परता, अमृत बेवा परता भील सा देह खातेदार की निजी आबादी भूमि का अवाप्ति होना प्रदर्शन हुआ है। आबादी भूमि की बजाय कृषि भूमि की डीएलसी दर से गलत अवार्ड पारित हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 1596/597 में से 0.171 हैक्टेयर का अवार्ड कृषि भूमि की डी. एल.सी. दर के आधार पर किया गया है, जबकि भूमि रूपान्तरित आबादी भूमि हैं। प्रार्थी श्री लालाभाई पिता हेमचन्द लबाना की अवाप्तशुदा 1200 वर्ग फीट भूमि का भी पारित अवार्ड के मुताबिक रु. 14255/- का चैक जारी किया गया। जिसे प्रार्थी ने आबादी की डी.एल.सी. दर के मुताबिक राशि नहीं होने से चैक प्राप्त नहीं किया गया। प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं होने से चैक लेने से इंकार किया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन



शुभमती प्रसाद
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा


अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी नम्बर 1596/597 रकबा 1-10 बीघा में से 0.171 है. भूमि किस्म आबादी राकेश पिता परता, अमृत बेवा परता भील सा0 दैह खातेदार की निजी भूमि बताया जाकर नाम प्रकाशित हुआ है। उक्त भूमि कार्यालय प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2010/388-94 दिनांक 13.12.2010 को आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ है। जो गजट नोटिफिकेशन के पूर्व हुआ है। प्रार्थी श्री लालाभाई ने अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिनांक 06.09.2011 को जरिये रजिस्ट्री खातेदारान राकेश पिता परता वगैरा से आवासीय भू-खण्ड क्रय किया है। पूर्ण भू-खण्ड 1200 वर्ग फीट भूमि अवाप्त हुआ है। अवाप्ति के अवार्ड के समय मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित ग्राम बडगांव-बी की वर्ष 2010-11 की आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर में 15% पश्चात् 10% जोड़कर की गई गणना से 176088 /- अक्षरे एक लाख छियत्तर हजार अठ्यासी रूपया मुआवजा राशि बनती है। विक्रेता खातेदार एवं अन्य खातेदारान ने अपने-अपने खाते की कृषि भूमि आवासीय भूमि रूपान्तरण कराकर संयुक्त रूप से प्लानिंग प्लानिंग की है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता है।

दिनांक 12-01-2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया। साथ ही अवाप्ति से शेष रही प्रार्थी की भूमि, जो प्रार्थी के लिए अब अनुपयोगी हो चुकी है, का भी नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3-जी (7)(ए) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से



D.M. Division 2016.doc

अमरवती प्रसाद
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आबादी में से अवाप्तशुदा भूमि का कृषि भूमि की डीएलसी दर से गलत अवार्ड जारी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत आवासीय भूमि अवाप्त होने से नियमानुसार मुआवजा दिया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-01-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गणेश प्रसाद)
जिला प्रशासन एवं विकास अधिकारी
बांसवाड़ा